प्रेस नोट दिनांक 27.08.2020

ऊसराहार पुलिस द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या के लिये उकसाने के लिये 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2020 को 02 युवकों के आत्महत्या करने के प्रकरण में डरा धमकाकर आत्महत्या के लिये उकसाने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.08.2020 को नेत्रपाल द्वारा सूचना दी गयी कि गांव नगरिया महुआ में रिषी कुमार उर्फ अंकुल यादव तथा आकाश कमल द्वारा अपने खेत पर स्थित आम के पेड में रस्सी से फन्दा लगाकर पेड से लटक कर फांसी लगा ली है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष ऊसराहार मय हमराही फोर्स घटना स्थल पहुंचकर उपरोक्त दोनों लोग फांसी से शव को नीचे उतारा गया तथा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने हेतु शव विच्छेदन ग्रह इटावा भेजा गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक आकाश कमल के पिता राकेश बाबू कोरी की तहरीर के आधार पर दिनांक को थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 233/20 धारा 306,506 भादवि व 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट बनाम दर्शन सिंह यादव के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.08.2020 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दोनों मृतको को तथा उनकी परिवारीजनों को पूर्व में धमकी दी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–पता–

1. दर्शन सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री बेचेलाल यादव नि0 ग्राम महुआ नगरिया थाना ऊसराहार।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 233/20 धारा 306,506 भादवि व 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट थाना ऊसराहार।

पुलिस टीम– श्री सतीश चन्द्र यादव थानाध्यक्ष ऊसराहार मय टीम।

सोशल मीडिया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।

ETAWAH POLICE